Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

7

साझेदारी
[PARTNERSHIP]
(सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों सहित)
(Including Provisions of Limited Liability Partnership Act, 2008)

साझेदारी का उद्गम अथवा प्रादुर्भाव
(ORIGIN OF PARTNERSHIP)

"आवश्यकता आविष्कार की जननी है।" इस लोकोक्ति के अनुरूप साझेदारी संगठन का उद्गम एकाकी स्वामित्व के दोषों को दूर करने के लिए हुआ। दूसरे शब्दों में, अधिक पूँजी, अधिक नियन्त्रण, अधिक विशिष्टीकरण तथा श्रम-विभाजन की आवश्यकता ने साझेदारी व्यवसाय को जन्म दिया। यदि सही प्रकार से मनन करें तो यह ज्ञात होगा कि **साझेदारी विकेन्द्रित साधनों का केन्द्रीकरण है।** कहीं पर पूँजी का अभाव है तो कहीं पर प्रतिभा का अभाव, कहीं पर संगठन की योग्यता का अभाव है तो कहीं पर व्यापारिक कुशलता का अभाव और यदि कहीं पर प्रतिभा आदि गुण हैं तो कहीं पर पूँजी के अपर्याप्त होने की विषम एवं विकट चिन्ता है। ऐसी विस्फोटक स्थिति में सद्विश्वास एवं सहृदयता की भावना से पूँजी, श्रम और व्यावसायिक योग्यता का समन्वय करने पर साझेदारी की उत्पत्ति होती है। **श्री मैकनाटन** के अनुसार, "पूरक योग्यताओं का लाभ उठाने तथा अधिक पूँजी एकत्र करने की इच्छा से व्यवसायी साझेदारी का निर्माण करते है।"[1]

विद्वानों के मतानुसार साझेदारी का उद्गम सर्वप्रथम रोम में हुआ। रोमन काल में वहाँ के लोगों ने सर्वप्रथम पैतृक सम्पत्ति (Inherited Estate) की व्यवस्था करने के लिए परिवार के समूह का संगठन बनाया जिसको 'Socitas' कहा गया। प्रसिद्ध वाणिज्यिक ओवेन (Owen) के कथनानुसार, "साझेदारी बहुत प्राचीन समय से ही विद्यमान थी। प्राचीन काल में इसका चलन भारत, बेबीलोन, ग्रीस तथा रोम सहित अनेक देशों में विभिन्न प्रकार से अलग-अलग उद्गम एवं विकास हुआ।" **डब्लू. आर. स्प्रीगल** के शब्दों में, "सामान्य साझेदारी से प्राचीन मिस्रवासी, फोनीसीयन्स, ग्रीकवासी तथा रोमवासी भी परिचित थे।"[2] इंग्लैण्ड में साझेदारी उद्गम सन् 1248 में ही हो चुका था किन्तु यह साझेदारी अविकसित अवस्था में ही थी। फिर भी विद्वानों का यही मत है कि आधुनिक प्रकार की साझेदारी का उद्गम सर्वप्रथम इटली में हुआ था।

साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(MEANING AND DEFINITIONS OF PARTNERSHIP)

साझेदारी का अर्थ (Meaning of Partnership)

जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर व्यवसाय करने के लिए सहमत हो जाते है, तब कहा जाता है कि उन्होंने साझेदारी का निर्माण कर लिया है।

साझेदारी की परिभाषाएँ (Definitions of Partnership)

(1) **किम्बाल** एवं **किम्बाल** (Kimball and Kimball) के शब्दों में, "साझेदारी या फर्म व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परस्पर पूँजी या सेवाएँ लगायी हों।"[3]

(2) **श्री हैने** (Haney) के अनुसार, "साझेदारी विभिन्न व्यक्तियों में, जो प्रसंविदा करने की क्षमता रखते है, परस्पर एक प्रतिज्ञा है जिनके अनुसार वे अपने लाभ के लिए कोई न्यायपूर्ण व्यवस्था रखते है।"

1 "Partnership result from the desires of businessmen to take advantage of complimentary abilities and to raise more capital."
—McNaughton, Wayne, L. : *Introduction of Business Enterprise*

2 "The general partnership was known to the ancient Egyptians, Phoenicians, Grecians and Romans." —*W.R. Spriegel*

3 "A partnership or firm as it is often called, is then, a group of men who have joined capital or services for prosecuting of some enterprise."
—*Kimball and Kimball*

(3) **डॉ. विलियम आर. स्प्रीगल** (Dr. William R. Spriegal) के अनुसार, "साझेदारी दो या दो से अधिक सदस्यों की संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति साझेदारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक साझेदार दूसरों को अपने कार्य से बद्ध कर सकता है तथा प्रत्येक साझेदार की सम्पत्तियों को फर्म के ऋणों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।"

(4) **भारतीय साझेदारी अधिनियम**, 1932 (धारा 4) के अनुसार, "साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को कहते है जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बाँटने का ठहराव किया है जिसे वे सब अथवा उन सबकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई व्यक्ति चलाता हो।"[1] वे सब व्यक्ति जिन्होंने एक-दूसरे के साथ साझेदारी का समझौता किया हो अथवा साझेदारी की स्थापना की हो, व्यक्तिगत रूप से साझेदार (Partner) तथा सामूहिक रूप में फर्म (Firm) कहलाते है और जिस नाम से वे व्यवसाय करते है, वह 'फर्म का नाम' कहलाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

उपयुक्त परिभाषा—साझेदारी की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् इसकी एक उपयुक्त परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है—"साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध है जो किसी विशिष्ट व्यवसाय को करने एवं उसके लाभ-हानि को आपस में बाँटने का अनुबन्ध करते है। व्यवसाय का संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी ओर से किसी एक के द्वारा हो सकता है।"

साझेदारी के लक्षण अथवा विशेषताएँ
(CHARACTERISTICS OR FEATURES OF PARTNERSHIP)

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से साझेदारी के लक्षणों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—प्रथम, वैधानिक लक्षण तथा द्वितीय, सामान्य लक्षण।

(अ) वैधानिक लक्षण (Statutory Characteristics)

साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे है जिनका उल्लेख साझेदारी अधिनियम, 1932 में किया गया है जो निम्नवत है—

(1) **कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना** (Atleast Two Persons)—साझेदारी होने के लिए यह परम आवश्यक है कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति हों अर्थात् कम से कम उसमें दो व्यक्ति आवश्यक रूप में होने चाहिए क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। साझेदारी अधिनियम में यह भी दिया हुआ है कि यदि किसी संस्था में, मृत्यु अथवा दिवालिया होने के कारण साझेदारी की संख्या एक ही रह जाती है तो ऐसी दशा में साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जायेगा। साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, इस विषय में साझेदारी अधिनियम तो शान्त है परन्तु भारतीय कम्पनी अधिनियम के रूल 10 (The Companies Miscellaneous) Rules 2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में अधिक-से-अधिक 50 सदस्य हो सकते है। 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए और यदि ज्यादा होंगे तो साझेदारी अवैध मानी जायेगी।

(2) **किसी वैध कारोबार का होना** (Only Legal Business)—साझेदारी के लिए कुछ कारोबार (Business) होना अनिवार्य है। इसमें कारोबार का होना गर्भित नहीं है। अतएव यदि बिना किसी कारोबार की दृष्टि से दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करें तो ऐसे समझौते को साझेदारी का समझौता नहीं कहेंगे।

(3) **साझेदारों के बीच समझौता अथवा अनुबन्ध होना** (Agreement or Deed Among Partners)—साझेदारी का जन्म समझौता द्वारा होता है, अतएव यह परम आवश्यक है कि साझेदारों के बीच समझौता हो क्योंकि "साझेदारी का सम्बन्ध अनुबन्ध से उत्पन्न होता है, स्थिति से नहीं।" यह समझौता लिखित हो सकता है अथवा मौखिक परन्तु लिखित समझौता होना सदैव श्रेष्ठ रहता है।

(4) **कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना** (Profit Motive)—साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है इसलिए कोई भी कारोबार जो कि परोपकार की दृष्टि से किया जाये, साझेदारों को लाभ उत्पन्न करने के लिए न हो, साझेदारी नहीं हो सकती। जैसे—राम, मोहन तथा श्याम तीनों मिलकर लखनऊ में एक दुकान खोलते है जिसकी समस्त आय से स्थानीय किसी धर्मशाला का कार्य संचालन होता है। यहाँ कारोबार का उद्देश्य पूर्णतया परोपकारी है, लाभ उत्पन्न करना नहीं। अतः यह साझेदारी नहीं कही जा सकती है।

(5) **कारोबार के लाभ को आपस में बाँटना** (Division of Profits amongst themselves)—साझेदारी का उद्देश्य कारोबार से केवल लाभ कमाना ही नहीं है अपितु उसे आपस में बाँटना भी है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे लाभों

1 "Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or anyone of them acting for all."
—*Indian Partnership Act*, 1932